Lease

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 17/11/2023

Certificate No. MDQ2023K2

GRN No. 109295653

Stamp Duty Paid : ₹ 200 (Rs. Only)

Penalty : ₹ 0 (Rs. Zero Only)

1954

Seller / First Party Detail

Name: Sushila Devi

H.No/Floor : 0 Sector/Ward : 0 LandMark : 0

City/Village : Taraori District : Karnal State : Haryana

Phone: 99******03

Buyer / Second Party Detail

Name : Janki dass overseas Private limted Taraori

H.No/Floor : 0 Sector/Ward : 0 LandMark : 0

City/Village: Taraori District : Karnal State : Haryana

Phone : 99******03

Purpose : LEASE DEED

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

<u>पट्टानामा मियादी 10 साल</u>

पट्टानामा भूमि स्थित गांव **नारायणा** तहसील नीलोखेड़ी जिला करनाल ।

पट्टानामा, बदले मुबलिग 5,000/-रूपये प्रति सालाना

स्टाम्प मुबलिग :-200/- रूपये, स्टाम्प प्रमाण-पत्र नं.MDQ2023K2 दिनांक 17.11.2023

<u>प्रथम पक्ष (पट्टाकर्ता)</u> :- <u>श्रीमति सुशीला देवी</u> (आधार नं.9297 0883 4912, पैन नं.AARPD3293R) **पत्नी श्री कृष्ण चन्द पुत्र श्री जानकी दास निवासी गुलाब कालोनी तरावड़ी तहसील नीलोखेड़ी जिला करनाल ।**

प्रथम पक्ष......

द्वितीय पक्ष (पटटा ग्रहिता) :- मैसर्ज JANKI DASS OVERSEAS PRIVATE LIMITED स्थाई पता नडाना पखाना रोड़ तरावड़ी तहसील नीलोखेड़ी जिला करनाल (पैन नं.AAGCJ0472L) बजरिये डायेरेक्टर श्री शिवम सिंगला (आधार नं.8478 2192 8993) **पुत्र श्री दविन्द्र कुमार निवासी मकान नं. 1122, सैक्टर-9, करनाल, तरावड़ी तहसील नीलोखेड़ी जिला करनाल ।**

द्वितीय पक्ष ......

सुशीला देवी

Sub. Registrar Nilokheri (Karnal)

.........3........

जोकि भूमि स्थित गांव **नारायणा** तहसील नीलोखेड़ी जिला करनाल जिसकी भूमि खेवट नं.163, खतौनी नं.259, कुल किते-9 रकबा 52 कनाल 18 मरले का 71/2116 भाग बकदर 1 कनाल साढे 15 मरले, मलकियती नकल जमाबन्दी साल 2019-2020 व इंतकाल नं.3067 अनुसार प्रथम पक्ष की है । रकबा पर कोई स्टे नहीं है और यदि स्टे पाया गया तो उसका जिम्मेवार प्रथम पक्ष होगा और अब प्रथम पक्ष ने अपनी आजाद मर्जी से बिना किसी दबाव प्रभाव के उपरोक्त भूमि सहित हक हकूक हर प्रकार सहित मय हक रास्ता व अन्य तमाम अधिकार उपरोक्त रकबा के जो भी प्रथम पक्ष को प्राप्त है सहित द्वितीय पक्ष को बदले मुबलिग 5,000/-रूपये (पांच हजार रूपये) प्रति सालाना की दर से वास्ते मियाद 10 साल दिनांक 22.08.2023 से दिनांक 21.08.2033 तक शैलर/राईस मिल्ज का कार्य करने व मिलिंग करने के लिये पट्टा पर दे दिया है और प्रथम पक्ष ने पहले वर्ष की पटटा की रकम एडवांस में प्राप्त कर ली है और आगे भी हर साल की 20 अगस्त तक प्राप्त करेगा और द्वितीय पक्ष भी समय पर पटटा की रकम अदा करता रहेगा। कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष को दे दिया है । पटटा की रकम का लेन-देन चैक/नकद द्वारा होगा अगर द्वितीय पक्ष पटटा का लगान प्रथम पक्ष को नहीं देता तो प्रथम पक्ष नोटिस देकर पटटानामा कैन्सल/रद्ध करवा सकता है । द्वितीय पक्ष अब उक्त रकबा में, मशीनरी लगाये, शैलर लगावे, ड्रायर लगावे, बॉयलर लगावे, ऐलिवेटर लगावे, सौरटैक्स लगावे, गोदाम बनावे, प्लांट लगावे, कार्यालय बनाये, शैड लगावे व किसी भी महकमा से एन.ओ.सी. लेवे, बिजली कनैक्शन, पानी कनैक्शन, टेलीफोन कनैक्शन, इंन्टरनैट ब्रॉडबैन्ड कनैक्शन लेवे व भवन का निर्माण करे, टॉयलेट बनावे, वाटर कुलर लगावे व किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही व तामीर करे, द्वितीय पक्ष भूमि में अपने कारोबार को स्थापित करने हेतु किसी भी प्रकार का निर्माण अपने खर्चे पर तामीर करे, किसी भी बैंक या वितिय संस्था से निर्माण करने हेतु व करोबार को चलाने हेतु किसी भी प्रकार का कर्जा प्राप्त करे, सी.सी. लिमिट बनवाये, टर्म लोन लेवे इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को सम्बन्धित बैंक या वितिय संस्था के हक में कोई भी दस्तावेज, आड रहन, रहन, साम्यिक बंधक बैंक के साथ करे, मॉरगेज करावे, इकरारनामा, **सब लीज डीड,** आदि को तकमील व तसदीक करावे। द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि में फैक्टरी, मैनोफेक्चरिंग वा ट्रेडिंग के कारोबार करे और द्वितीय पक्ष को इस कारोबार से सम्बधित अन्य सभी कार्य करने का अधिकार होगा और द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त भूमि में अपने कारोबार को स्थापित करने हेतु कोई किसी प्रकार का निर्माण अपने खर्चे पर करे। मियाद पट्टा समाप्त होने पर द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि से अपना सामान, मलबा आदि हटाकर भूमि खाली करके कब्जा हवाले प्रथम पक्ष को करने का पाबन्द होगा और द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह

सुशीला देवी

Sub. Registrar Nilokheri (Karnal)

प्रलेख क्र.:1954 मुद्रण दिनांक 17/11/2023 03:57 PM पंजीकरण दिनांक:17-11-2023

वसीका संबंधी विवरण		
वसीका का नाम LEASE		
तहसील/सब-तहसील- नीलोखेडी	गांव/शहर- नारायणा	स्थित- नारायणा की भूमि
शहरी - म्युनिसिपल क्षेत्र सीमा के बाहर		अन्य क्षेत्र
पता : नारायणा		
धन संबंधी विवरण		
राशि- 5000 रुपये		कुल स्टाम्प शुल्क- 150 रुपये
स्टाम्प नं- mdq2023k2		स्टाम्प का मूल्य- 200 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस- 100 रुपये	EChallan:107974185	पेस्टिंग शुल्क- 3 रुपये
द्वारा तैयार किया गया- सुनील मित्तल वकील		सेवा शुल्क- 200
खेवट नम्बर :- 163		
भवन का विवरण		
कृषि चाही	1 Kanal 15 Marla	

Sub Registrar Nilokheri (Karnal)

यह प्रलेख आज दिनांक 17-11-2023 दिन शुक्रवार समय 3:57:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी सुशीला देवी पत्नी कृष्ण चन्द निवास द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया |

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

संयुक्त उप पंजीयन अधिकारी Nilokheri

सुशीला देवी

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एंव ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है |

दिनांक 17-11-2023 संयुक्त उप पंजीयन अधिकारी Nilokheri

सुशीला देवी

उपरोक्त पटटा लेने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी JANKI DASS OVERSEAS PVT LTD thru मिन शिवम सिंगलाOTHER हाजिर है | प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया | प्रलेख के अनुसार 0 रुपये की राशि पटटा लेने वाला ने मेरे समक्ष पटटा देने वाला को अदा की तथा प्रलेख मे वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया | दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मेहर सिह नम्बरदार पिता अमर सिह निवासी डोडवा तरावडी व श्री/श्रीमती/कुमारी कृष्णकुमार पिता जगदीश निवासी तरावडी ने की |
साक्षी सं. 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी सं. 2 की पहचान करता है |

दिनांक 17-11-2023 संयुक्त उप पंजीयन अधिकारी Nilokheri

उपरोक्त भूमि में उपरोक्त कारोबार स्थापित करने बारे सभी सम्बधित केन्द्रीय, प्रान्तीय वा अर्धसरकारी कार्यालयो से वांछित अनुमति प्राप्त करे, प्रार्थना पत्र देवें, शपथ पत्र आदि देवे या अन्य समस्त कार्यवाही करे, प्रथम पक्ष को इस सम्बध में कोई किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी मियाद पटटा समाप्त होने से पूर्व प्रथम पक्ष वा द्वितीय पक्ष अपनी सहमति से पटटा की मियाद आगे बढ़ा सकते है । द्वितीय पक्ष उक्त भूमि को खाली करके, बिजली बिल का निपटारा करके व कब्जा हवाले प्रथम पक्ष करके प्राप्त करने का पाबन्द रहेगा । पटटेदार समय-समय पर प्रति वर्ष पटटाधन अदा करता रहेगा तथा द्वितीय पक्ष उक्त रकबा से तय तिथि से पहले बेदखल नहीं हो सकता। जिस उदेश्य के लिये जमीन ली है उसी उदेश्य के लिये प्रयोग की जायेगी । पटटा की रकम समय पर दोनों पक्षों की रजामन्दी से बढाई जा सकेगी । यदि उक्त रकबा द्वितीय पक्ष कोई गैरकानूनी कार्य करता पाया गया तो उसका जिम्मेवार द्वितीय पक्ष होगा प्रथम पक्ष की कोई जिम्मेवारी नही होगी दोनों पक्षों की रजामन्दी से पटटा की अवधि उचित कारणों से बढ़ाई जा सकेगी । पटटेदार द्वारा निर्धारित शर्तो का उल्लंघन करने पर पटटानामा स्वतः रद्द समझा जायेगा। रकबा नुक्श मलकियती कानूनी वाक्यीती की हर प्रकार की जिम्मेवारी प्रथम पक्ष की होगी। जो कब्जा दिया गया है । इंतकाल पट्टानामा प्रथम पक्ष कागजात माल रिकार्ड द्वितीय पक्ष के हक में करवाने का पाबन्द रहेगा। शर्तो का पालन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।

अतः यह पट्टानामा अपने होश हवाश में व बिना किसी दबाव के तहरीर कर दिया है कि सनद रहे समय पर काम आवे । तहरीर तिथि 14.11.2023.

श्रीमति सुशीला देवी (प्रथम पक्ष)

सुशीला देवी

मैसर्ज JANKI DASS OVERSEAS(द्वितिय पक्ष)
बजरिये डायेरेक्टर श्री शिवम् सिंगला

Shivam

Sub. Registrar Nilokheri (Karnal)

गवाह न0 1. मेहर सिंह नम्बरदार निवासी डोडवा जिला करनाल ।

मेहर

गवाह नं0 2 कृष्ण कुमार पुत्र श्री जगदीश निवासी तरावडी

Krishna

Drafted by
Sunil Mittal

Sunil Mittal
Advocate
Distt. Courts Karnal
Regd: 1455/07

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
1954	2023-2024	1

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

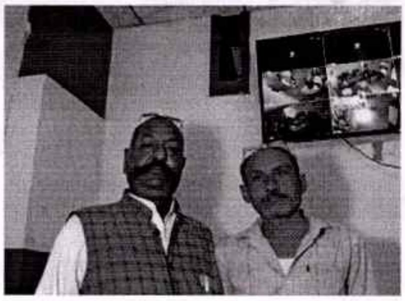

गवाह

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
नीलोखेडी

पटटा देने वाला :- सुशीला देवी____________

पटटा लेने वाला :- thru मिन शिवम सिंगलाOTHERJANKI DASS OVERSEAS PVT LTD____________

गवाह 1 :- मेहर सिह नम्बरदार ____________

गवाह 2 :- कृष्णकुमार ____________

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 1954 आज दिनांक 17-11-2023 को बही नं 1 जिल्द नं 127 के पृष्ठ नं 25.25 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 2679 के पृष्ठ संख्या 17 से 18 पर चिपकाई गयी | यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है |

दिनांक 17-11-2023

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी नीलोखेडी